102

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2243–तीन/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 20–4–2013 – पारित व्दारा – तहसीलदार जैतपुर जिला शहडौल – प्रकरण क्रमांक 6 अ–12/2012–13

1– शिवशॅकर मिश्रा पुत्र रामकिंकर
2– चन्द्रबूटी पत्नि रामसुमेर मिश्रा
दोनों ग्राम जैतपुर तहसील जैतपुर
जिला शहडौल मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– धर्मेन्द्र सिंह 2– दिलीप सिंह
3– वीरेन्द्र सिंह पुत्रगण गोविन्दसिंह बरगाही
4– राजकुमार पुत्र लल्ला बरगाही
सभी ग्राम जैतपुर तहसील जैतपुर जिला शहडौल
5– मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री भानूप्रताप सिंह)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री गगा प्रसाद तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 07–03–2018 को पारित)

यह अपील तहसीलदार जैतपुर के प्रकरण क्रमांक 6 अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20–4–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र–1 से 4 ने तहसीलदार जैपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उनके स्वामित्व की ग्राम जैतपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 759/3 क/1 क/1 , 759/3 क/1ख, 759/3 ख, 759/3 ग के

सीमांकन की मांग की। राजस्व निरीक्षक वृत्त जैतपुर ने सीमांकन करके प्रतिवेदन दिनांक 18-4-13 प्रस्तुत किया। सीमांकन पर आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार जैतपुर ने पक्षकारों को सुनकर आपत्ति निरस्त करते हुये आदेश दिनांक 20-4-13 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 से 4 का सीमांकन आवेदन आने पर तहसीलदार जैतपुर ने प्रकरण क्रमांक 6 अ-12/2012-13 में राजस्व निरीक्षक को सीमांकन के निर्देश दिये है। राजस्व निरीक्षक ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी करते हुये दिनांक 5-4-13 को सीमांकन किया है। सीमांकन के समय समस्त पड़ौसी कृषक उपस्थित रहे हैं तथा सीमांकन कार्यवाही के दौरान किसी पक्ष ने आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि निगरानीकर्ता सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार हैं जिसके स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि सीमांकित भूमियों से लगी है किन्तु पटवारी हलका ने सीमांकन के समय उपस्थित होने के लिये निगरानीकर्ता को कोई सूचना नहीं दी । अनावेदकगण की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित हुई है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।

आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने का वह अधिकारी हैं। यदि आवेदकगण स्वयं की भूमि को अनावेदकगण की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानते हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदकगण

की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 20-4-13 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार जैतपुर व्दारा प्रकरण कमांक 6 अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20-4-2013 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर